6011

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0

7/23, सेक्टर–7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ–226027
Website-sudaup.org

पत्रांक : 9022/03/76/एक/2020–21 दिनांक : 2/5/2020

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद–**गोण्डा।**

विषय : **मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण**

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 में आपके जनपद को मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत (अनुदान संख्या–37/83) में शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 में स्वीकृत की गई निम्न परियोजनाओं की धनराशि निम्नलिखित विवरण के अनुसार अवमुक्त की जा रही है:–

धनराशि का प्रेषण (लाख रू0 में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
इलाहाबाद बैंक	20282094066	IFSC Code ALLA0212499	51.331

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र. सं.	जनपद का नाम	अनुदान संख्या	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	किश्त सं.	अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	गोण्डा	मु0अ0–37	न0पा0प0 गोण्डा	वार्ड नं0 15 छेदीपुरवा में किलोस्कर एजेन्सी से लेकर राजू मिश्रा के मकान तक सी0सी0/नाली निर्माण कार्य।	प्रथम	7.456
2	गोण्डा	मु0अ0–37	न0पा0प0 गोण्डा	वार्ड नं0 19 सिविल लाइन द्वितीय में सोनू गुप्ता के मकान से संजय सिंह के मकान तक इण्टरलॉकिंग नाली निर्माण कार्य।	प्रथम	4.168
3	गोण्डा	मु0अ0–37	न0पा0प0 गोण्डा	वार्ड नं0 01 मो0 सिविल लाइन तृतीय में मो0 सलीम खान के मकान से वर्मा जी के मकान तक इण्टरलॉकिंग नाली निर्माण कार्य।	प्रथम	2.304
4	गोण्डा	मु0अ0–37	न0पा0प0 गोण्डा	वार्ड नं0 21 दयानन्द नगर में डा0 विशिष्ट के सामने शिवाले के पीछे की हनुमानगढ़ी तक इण्टरलॉकिंग नाली निर्माण कार्य।	प्रथम	8.185
5	गोण्डा	मु0अ0–37	न0पा0प0 गोण्डा	वार्ड नं0 21 मो0 दयानन्दनगर में मालवीय नगर, सिन्ध बेकर्स के बगल में हनुमान गढ़ी मन्दिर तक इण्टरलॉकिंग नाली निर्माण कार्य।	प्रथम	11.103
6	गोण्डा	म0ब0–83	न0पा0प0 गोण्डा	मो0 पन्तनगर में नेहरू मेमोरियल से विनेन्द्र श्रीवास्तव के मकान से होते हुए सिकेडहाई स्कूल के सामने तक रबर मोल्डिंग इण्टरलॉकिंग का निर्माण कार्य।	प्रथम	4.942

SRYADAV-DM ALP-20-21

02-05-2020

60/2

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0

7/23, सेक्टर–7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ–226027
Website-sudaup.org

क्र. सं.	जनपद का नाम	अनुदान संख्या	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	किश्त सं.	अवमुक्त की जा रही धनराशि
7	गोण्डा	म0ब0–83	न0पा0प0 गोण्डा	मो0 पन्तनगर में विजय नरायन दुबे के मकान से प्रभात वर्मा के मकान व मेन रोड तक रबर मोल्डिंग इण्टरलॉकिंग का निर्माण कार्य।	प्रथम	6.754
8	गोण्डा	म0ब0–83	न0पा0प0 गोण्डा	मो0 पन्त नगर में प्रताप कुंज के मकान से होते हुये विष्णु निवास के मकान तक रबर मोल्डिंग इण्टरलॉकिंग का निर्माण कार्य।	प्रथम	6.419
	योग					51.331

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:–

1– उ0प्र0 सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना हेतु स्वीकृत डी0पी0आर0/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।

2– स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता/पुरातत्व विभाग आदि के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।

3– प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।

4– परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख–रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।

5– योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष **2020–21** में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नही प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।

6– उक्त धनराशि डूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तो/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।

7– प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्त्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

8– अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई

02-05-2020

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0

7/23, सेक्टर–7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ–226027
Website-sudaup.org

धनराशि के क्रम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यो में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसका भुगतान न करते हुये उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्ति करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।

9– **शासन द्वारा उक्त परियोजनाओं में अवमुक्त की गई धनराशि में से अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित अभिकरण को शीध्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।**

02.05.2020
(वित्त नियन्त्रक)
सूडा

(निदेशक)
सूडा

पत्रांक एवं दिनांक तदैव
प्रतिलिपि :निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक/परि0 अधि0, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. कार्यक्रम अधिकारी, सूडा।
3. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग–सूडा।

02.05.2020
(वित्त नियन्त्रक)
सूडा